भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2824
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता

†2824. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल के 85 प्रतिशत आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) तेल और गैस आयात में 15 प्रतिशत की वृद्धि का भारत के व्यापार घाटे पर अनुमानित प्रभाव क्या है तथा तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है;
(ग) भारत के ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है;
(घ) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है;
(ड.) कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में तीन प्रतिशत की गिरावट के क्या कारण हैं;
(च) घरेलू तेल उत्पादन और घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(छ) क्या सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में गिरावट को दूर करने के लिए कोई योजना है; और
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तेल शोधन क्षमता बढ़ाने की क्या योजना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): सरकार ने कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देशभर में प्राकृतिक गैस के उपयोग को ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा देते हुए मांग विस्थापन, जिससे अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस के हिस्से को बढ़ाया जा सके तथा गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सके, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी एथेनॉल, संपीडित जैव गैस (सीबीजी) और जैव डीजल जैसे नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना सृजित करना, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल की शुरुआत भी की गई है।

भारत सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

हाल ही में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पीओएल) डिपो से दूर, सुदूर स्थानों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी के रुप में लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के अंतर को भी कम कर दिया है।

दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार, विगत 10 वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के परिणामस्वरूप 1,08,655 करोड़ रुपए से भी अधिक की अनुमानित विदेशी विनिमय की बचत हुई है। चीनी आधारित फीडस्टॉक से उत्पादित एथेनॉल ने चीनी कारखानों को अपने अधिशेष चीनी इंटवेटरी में कमी करने और गन्ना किसानों को देय धनराशि को चुकाने के लिए शीघ्र राजस्व का सृजन करने में सहायता की। पिछले 10 वर्षों के दौरान, ईबीपी कार्यक्रम ने दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार, किसानों को लगभग 92,409 करोड़ रू. के शीघ्र भुगतान करने में सहायता की। यह अनुमान लगाया गया है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण के परिणामस्वरूप किसानों को वार्षिक 35000 करोड़ रू. से अधिक का भुगतान करने की संभावना हो सकती है।

भारत का उर्जा क्षेत्र, उर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख बदलाव से हो कर गुजर रहा है। सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से संस्थापित 500 जीडब्ल्यू की विद्धुत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीवी मोड्यूल्स उच्च सौर्य दक्षता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाओं की शुरुआत की गयी है। अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए योजना को परियोजना डेवलपर्स के लिए इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने 1 जीडब्ल्यू के अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और कमीशन हेतु व्यवहार्यत वित्त पोषण अंतर संबंधी (वायाबिलिटी गैप फंडिंग- वीजीएफ) योजना को भी मंजूरी प्रदान की है।

इसके अलावा, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत को हरित हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्नों का उत्पादन, उपयोग और निर्यात करने वाला वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने जैव ऊर्जा और वेस्ट-टू-एनर्जी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) को भी अधिसूचित किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को समर्थन प्राप्त हो सके तथा भारत में ऊर्जा सुरक्षा एवं सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और विपणन कंपनियों (आईओसीएल/ बीपीसीएल/ एचपीसीएल) से हरित ईंधन एवं अन्य वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु यह अपेक्षित है कि वे अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कम से कम एक नयी पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन, जैसे सीएनजी/एलएनजी/इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स आदि के विपणन के लिए सुविधाएं स्थापित करें।

(ङ) से (च): हाल के वर्षों में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट, प्राकृतिक गिरावट और परिपक्व क्षेत्रों के कूपों में पानी कटाव में वृद्धि के कारण हुई है। हालांकि, सरकार द्वारा घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहें हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं, के कारण वर्ष 2023-24 में आए रुझानों से स्थिति में बदलाव आया:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों, 2014 के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत छूटों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लिए नीति

ii. खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016

iv. पीएससीज की अवधि बढ़ाए जाने के लिए नीति, 2016 और 2017

v. नेशनल डेटा रिपोज़िटरी, 2017 की स्थापना,

vi. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन, 2017

vii. पूर्व-नवीन अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति (पूर्व-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससीज के विस्तार के लिए नीति ढांचा।

viii. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीति, 2018

ix. मौजूदा उत्पादन साझेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं तथा नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण तथा दोहन के लिए नीति ढांचा

x. ओएएलपी ब्लॉक में चरण-I के तहत नीलामी में बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिनों में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व साझेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) तथा नो ड्रिलिंग प्रतिबद्धता

xi. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग कि.मी. 'नो-गो' क्षेत्र को प्रतिबंध से मुक्त करना, जो दशकों से अन्वेषण के लिए बंद था।

xii. सरकार भी तटवर्ती और अभितटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा संग्रहण तथा स्ट्रैटीग्राफिक कूपों के वेधन भी कर रही है ताकि भारतीय तलछटी बेसिनों के गुणवत्तापूर्ण डेटा बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने तटवर्ती पर 20,000 एलकेएम और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के बाहर 30,000 एलकेएम अभितटीय 2डी भूकंपीय डेटा के अतिरिक्त संग्रहण को मंजूरी दी है।

(छ) से (ज): तेल कंपनियां घरेलू मांग की पूर्ति के उपरांत ही पेट्रोलियम उत्पादों के अधिशेष उत्पादन का निर्यात नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से करती हैं। भारतीय रिफाइनर्स द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात स्थानीय मांग-आपूर्ति परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों, प्राप्त मूल्य निविदाओं, मौसम संबंधी परिवर्तनों, रिफाइनरी के बंद होने आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। देश की रिफाइनिंग क्षमता को विगत 10 वर्षों में 215.07 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) से बढ़ाकर 256.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर दिया गया है।

*****